


पंजी संख्या.....16.....

लोक सभा आम चुनाव - 2019

1. प्रत्याशी का नाम :- राजीव कुमार सिंह
2. राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :- निर्दलीय
3. निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया :- 12- पूर्णियाँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4. परिणाम के घोषणा की तिथि :- 23.05.2019

प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में कुल 79 पृष्ठ हैं।


निर्वाचीय अधिकारी
12-पूर्णियाँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
12-पूर्णियाँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

"A"
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के रख-रखाव के लिए रजिस्टर
Register for Maintenance of Day to Day Accounts of Election Expenditure by Contesting Candidates

अभ्यर्थी का नाम:

Name of the Candidate: राजीव कुमार सिंह

राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई हो: निर्दलीय

Name of Political Party, if any:

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ निर्वाचन लड़ा गया: 12 पूणिया

Constituency from which contested:

परिणाम की घोषणा की तारीख: 23/05/2019

Date of Declaration of Result:

निर्वाचन अधिकर्ता का नाम एवं पता: रमण कुमार सिंह, पन्द्रम नगर गुलाबबाग पूणिया, सहर थाना

Name and address of Election Agent:

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय:

Total expenditure incurred / authorized:

(नामांकन की तिथि से परिणाम घोषणा की तिथि तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

1. व्यय/कार्य की तिथि Date of expenditure/event	2. व्यय की प्रकृति Nature of expenditure			3. कुल राशि ₹० में (भुगतान किया गया+बकाया) Total Amount in Rupees (paid+outstanding)	4. आदाता का नाम और पता Name and address of payee	5. बिल संख्या/ वाउचर संख्या एवं तिथि Bill No./ voucher No. and date	6. अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि Amount incurred/ authorized by candidate or his election agent	7. राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम Amount incurred/ authorized by political party and name of political party	8. अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किस्ती अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (पूरा नाम एवं पता लिखें) Amount incurred/ authorized by other individual/ association/body/ any other (mention full Name and Address)	9. अभ्युक्ति यदि कोई हो Remarks. if any
	विवरण Description	मात्रा Quantity	दर प्रति इकाई Rate per unit							
25/03/19	समर्थकों के आने जाने के खर्च	100 व्यक्ति		50,000	राजीव कुमार सिंह नगर नुतवखिया मामलपुर बिरार	अभ्यर्थी द्वारा कुल व्यय किया गया			₹25,000	

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।)
 Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation of the People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result)

001

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

नोट : 1. इस रजिस्टर का रख-रखाव दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए एवं यह निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारी/ रिटनिंग अधिकारी अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के अधीन होगा।

- Note : 1. This register must be maintained on a daily basis and shall be subject to inspection at any time by the Observer appointed by the Election Commission, the District Election Officer/Returning Officer or by any other officer authorized in this behalf.
2. यह रजिस्टर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय की विवरणी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को मूल रूप में सौंपा जाएगा। इसके साथ विहित आरूपों में निर्वाचन व्ययों के सारे विवरण और समर्थक शपथ-पत्र अवश्य भेजे जाने चाहिए। कोई भी व्यय की विवरणी निर्वाचन व्ययों के सार विवरण (भाग 1 से iv तथा अनुसूची 1 से 9 तक) एवं शपथ पत्र के बिना पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. The register must be lodged in original with the District Election Officer as the return of Election Expenditure under Section 78 of the Representation of the People Act, 1951. It must be accompanied by an abstract statement of election expenses and supporting affidavit in the prescribed formats. No return of expenditure will be accepted as complete without the abstract statement of election expenses and the affidavit.
3. केवल उन मदों के वाउचर संलग्न नहीं किए जा सकते हैं जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 88(2) में सूचीबद्ध हैं, जैसे डाक व्यय, हवाई यात्रा। यदि इस नियम के द्वारा कोई वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है तो विहित रजिस्टर में इस प्रभाव से यह स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए कि अपेक्षित वाउचर प्राप्त करना व्यवहार्य क्यों नहीं था।
3. Vouchers may not be attached only in respect of those items which are listed in Rule 86(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, like postage, travel by air. For any voucher not attached vide this rule, an explanation to the effect why it was not practicable to obtain the required vouchers must be given in the prescribed register.
4. लेखा तथा सार विवरण यदि उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसे अन्यथा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तथा अन्यथा द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि रखे गये लेखा की सही प्रति है। अन्यथा को स्वयं शपथ-पत्र पर शपथ लेनी चाहिए।
4. The account and abstract statement shall be countersigned by the candidate if it is lodged by his election agent and should be certified by the candidate himself to be the correct copy of the account kept. The affidavit should be sworn by the candidate himself.
5. अन्यथा/ निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सौंधे उपगत अथवा प्राधिकृत व्ययों के अलावा, अन्यथा के निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दल, अन्य संगठन, व्यक्तियों के निकार्यों, व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत सभी व्यय को लेखा में शामिल किया जाना अपेक्षित है। इसका एकमात्र अपवाद पार्टी के कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए राजनीतिक दल के नेताओं की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) का स्पष्टीकरण 1 एवं 2 देखें)
5. Apart from the expenses incurred or authorized by the candidate/election agent directly, all expenditure incurred or authorized by the political party, other associations, bodies of persons, individuals in connection with the election of the candidate are also required to be included in the account. The only exception is the expenses incurred on travel of specified leaders of the political party on account of their travel for propagating the programme of the party. (See Explanation 1 and 2 of Section 77(1) of the Representation of the People Act, 1951).
6. यदि उपर्युक्त स्तम्भ 2 और 3 में प्रदर्शित किसी मद पर व्यय किसी राजनीतिक दल/संगठन/व्यक्तियों के नियम/कोई व्यक्ति (अन्यथा अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त) द्वारा उपगत/प्राधिकृत है तो स्तम्भ 7 और 8 में उसका नाम एवं पूरा पता प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
6. If the expenditure on any item shown above in columns 2 and 3 above is incurred/authorized by any political party/association/body of persons/any individual (other than the candidate or his election agent), its/his name and complete address must be shown in columns 7 and 8.
7. उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ 2 और 3 में निर्दिष्ट कुल व्यय में, सभी नकद व्यय और अन्यथा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी वस्तुओं और अन्य प्रकार के प्राप्त सेवाओं की कीमत भी शामिल होनी चाहिए।
7. The total expenditure referred in columns 2 and 3 of the above table should include all expenditure in cash and the value of all goods and services received in kind by the candidate or his election agent from any source.
8. इस रजिस्टर में निम्नलिखित प्रपत्रों के अनुसार सफेद पृष्ठों के भाग-क में दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, गुलाबी पृष्ठों के भाग-ख में यथा उल्लिखित नकद राशि रजिस्टर, तथा पीले पृष्ठों के भाग-ग में यथा उल्लिखित बैंक रजिस्टर शामिल होनी चाहिए।
8. This register should include Cash Register as mentioned in Part-II in Pink pages and Bank Register as mentioned in Part-III in Yellow pages, as per the

Register for Maintenance of Day to Day Accounts of Election Expenditure by Contesting Candidates

अन्यथा का नाम :

Name of the Candidate :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ निर्वाचन लड़ा गया :

Constituency from which contested :

परिणाम की घोषणा की तारीख :

Date of Declaration of Result :

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता :

Name and address of Election Agent :

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

Total expenditure incurred / authorized :

(नामांकन की तिथि से परिणाम घोषणा की तिथि तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

(From the date of nomination to the date of declaration of result of election, both dates inclusive)

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :
Name of Political Party, if any :

1. व्यय/कार्य की तिथि Date of expenditure/event	2. व्यय की प्रकृति Nature of expenditure			3. कुल राशि ₹0 में (मुगताम किया गया+बकाया) Total Amount in Rupees (paid+outstanding)	4. आदात का नाम और पता Name and address of payee	5. बिल संख्या/वाउचर संख्या एवं तिथि Bill No./voucher No. and date	6. अन्यथा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि Amount incurred/authorized by candidate or his election agent	7. राजनीतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनीतिक दल का नाम Amount incurred by political party and name of political party	8. अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (पूरा नाम एवं पता लिखें) Amount incurred/authorized by / other individual/ association/body / any other (mention full Name and Address)	9. अन्यथा यदि कोई हो Remarks, if any
	विवरण Description	मात्रा Quantity	दर प्रति Rate per unit							
26/03/13	शान्त शक्ति वाहन शक्ति आदि	-	33	₹ 10,000	संजीव कुमार सिंह नगर, नवगडिका भागलपुर त्रिहार					

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तिथि के पर्याप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।)
Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation of the People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result)

002

अन्यथा के हस्ताक्षर
Signature of the Candidate

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखों के रख-रखाव के लिए रजिस्टर
Register for Maintenance of Day to Day Accounts of Election Expenditure by Contesting Candidates

1. व्यय/ कार्य की तिथि Date of expenditure/ event	2. व्यय का प्रकृति Nature of expenditure			3. कुल राशि रु० में (भुगतान किया गया + बकाया) Total Amount in Rupees (paid+ outstanding)	4. अदाता का नाम और पता Name and address of payee	5. बिल सं०/ वाउचर संख्या और तारीख Bill No./ voucher No. and date	6. अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि Amount incurred/ authorized by candidate or his election agent	7. राजनैतिक दल द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम Amount incurred/ authorized by political party and name of political party	8. अन्य व्यक्ति/ संस्था/ निकाय/ किसी अन्य द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि (पूरा नाम एवं पता लिखें) Amount incurred/ authorized by / other individual/ association/body/ any other (mention full Name and Address)	9. टिप्पणी यदि कोई हो Remarks if any
	विवरण Description	मात्रा Quantity	दर प्रति यूनिट Rate per unit							
27/3/19	वाहन अर्च आना जाना	-		₹ 15,000	भवानी देवी नगर जवगढ़िया मामलपुर बिहार					भारी सम्बन्धिया द्वारा मदद किया गया

25,000
P. Imtiaz Khan IRS
Expenditure Observer
12, Purnea PC

44/19
P. Kamban IRAS
Expenditure Observer
12, Purnea PC

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तिथि के पर्यन्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।)
Certified that this is a true account kept by me/my election agent under Section 77 of the Representation of the People Act, 1951 (Certificate to be furnished after the date of declaration of result)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
Signature of the Candidate